



2026:AHC:124951

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19203 वर्ष 2026

अंशु उर्फ आशुतोष

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता	:	अरविन्द सिंह
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. श्री अरविन्द सिंह, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से श्री सुरेन्द्र सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. यह जमानत प्रार्थना-पत्र विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना रॉबर्ट्सगंज, जनपद सोनभद्र में पंजीकृत वाद अपराध संख्या 259 वर्ष 2022, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376कख, 504, 506 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5एम, 5एन/6 के अन्तर्गत आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. प्रारम्भ में ही, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रथम सूचनाकर्ता पर सूचना की तामील कर दी गई है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद में आवेदक को मिथ्या रूप से फँसाया गया है, जबकि उसके विरुद्ध कोई भी आपत्तिजनक सामग्री उपलब्ध नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि अपराध कारित किए जाने की तिथि पर आवेदक भी किशोर था तथा उसकी जमानत प्रार्थना विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निरस्त कर दी गई थी, जिसके विरुद्ध उसने अपील प्रस्तुत की, जिसे भी विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया गया तथा उसके पश्चात् उसने इस न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे भी निरस्त कर दिया गया। तथापि, अब आवेदक वयस्क हो चुका है तथा उसने नियमित जमानत प्रदान किए जाने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदक पिछले चार वर्षों से कारागार/किशोर आश्रय गृह में निरुद्ध है तथा विचारण के निकट भविष्य में समाप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पीड़िता का परीक्षण पूर्व में ही किया जा चुका है तथा पीड़िता ने अपनी जिरह में कहा है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने से पूर्व आवेदक तथा पीड़िता के परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा हुआ था तथा उसने यह भी कहा कि उसने न्यायालय में अपनी माता के कहने पर साक्ष्य दिया था। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उपर्युक्त के दृष्टिगत पीड़िता का कथन स्वतन्त्र कथन नहीं है, अपितु उसे सिखाया-पढ़ाया गया कथन है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चिकित्सक ने चिकित्सीय परीक्षण प्रतिवेदन में पीड़िता के साथ बलात्कार अथवा प्रवेशात्मक लैंगिक आक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट राय व्यक्त नहीं की है। यदि उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना का प्रबल विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खण्डन नहीं कर सके। तथापि, यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक के विरुद्ध आरोप अत्यन्त गंभीर हैं तथा उसे विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत देने से इन्कार किया जा चुका है और उसके द्वारा प्रस्तुत अपील को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा तथा उसके पश्चात् इस न्यायालय द्वारा उसके आपराधिक पुनरीक्षण को भी

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निरस्त किया जा चुका है। पीड़िता ने अपनी जिरह में कहा है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज होने से पूर्व आवेदक तथा पीड़िता के परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा हुआ था तथा पीड़िता ने कहा कि उसने विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी माता के कहने पर साक्ष्य दिया था।

6. प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार, यह कहा गया है कि वर्ष 2022 में लगभग 7 वर्ष आयु की पीड़िता के साथ आवेदक ने प्रवेशात्मक लैंगिक आक्रमण किया। अपराध कारित किए जाने की तिथि पर आवेदक किशोर था तथा उसकी जमानत प्रार्थना विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा निरस्त कर दी गई थी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध उसने इस न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण प्रस्तुत किया, जिसे भी निरस्त कर दिया गया। तथापि, अब आवेदक वयस्क हो चुका है तथा उसने नियमित जमानत प्रदान किए जाने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे विद्वान सत्र न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया। आवेदक पिछले चार वर्षों से कारागार/किशोर आश्रय गृह में निरुद्ध है तथा विचारण के निकट भविष्य में समाप्त होने की कोई सम्भावना नहीं है। चिकित्सक ने रेडियोलॉजिकल प्रतिवेदन में पीड़िता के साथ बलात्कार अथवा प्रवेशात्मक लैंगिक आक्रमण किए जाने के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट राय व्यक्त नहीं की है।

7. वाद के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक वादों की अत्यधिक संख्या एवं कारागारों में अत्यधिक भीड़ को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जमानत प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो**, जो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन उच्चतम न्यायालय 3038 में प्रतिवेदित है, के वाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित अधिदेश तथा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, जो 2024 एस.सी.सी. ऑनलाइन इलाहाबाद 6765 में प्रतिवेदित है, के वाद में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना-पत्र **स्वीकार** किया जाता है।
9. तदनुसार, उपर्युक्त अपराध में सम्मिलित आवेदक **अंशु उर्फ आशुतोष** को सम्बन्धित न्यायालय के समाधान के अनुसार समान धनराशि के दो प्रतिभुओं सहित एक व्यक्तिगत बन्धपत्र प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति, जो वाद के तथ्यों से परिचित हो, को कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष उन तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।
 - (ii) आवेदक किसी भी स्थगन की प्रार्थना किए बिना विचारण/विवेचना में ईमानदारीपूर्वक सहयोग करेगा।
 - (iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात् आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि अथवा किसी अपराध के कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।
 - (iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त किए जाने का आधार होगा।
11. बन्धपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति एवं निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक तथा प्रतिभुओं के मोबाइल नम्बर एवं आधार कार्ड का सत्यापन भी सम्बन्धित न्यायालय द्वारा किया जाए।
12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से सम्बन्धित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
13. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति **सम्बन्धित कारागार अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-कारागार पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को प्रेषित करे, ताकि जमानत प्रदान करने की **नीति एवं रणनीति, स्वप्रेरणा** से

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित आदेश, जो (2024) 10 उच्चतम न्यायालय वाद 685 में प्रतिवेदित है, का अनुपालन किया जा सके।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

दिनांक 3 जून, 2026

अभिषेक

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।